[2018] 12 एस. सी. आर. 923

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया

बनाम

भगवान बुद्ध शैक्षिक समाज और अन्य

(2018 की दीवानी अपील संख्या-10352)

09 अक्टूबर, 2018

[अरुण मिश्रा और विनीत सरन, न्यायाधीशगण]

नए मेडिकल महाविद्यालय विनियम, 1999 की स्थापना-विनियम 8(3)(1)(ए)-जब आकर्षित किया गया-भारत सरकार ने विचाराधीन महाविद्यालय को सुनवाई देने के बाद, कॉलेज को प्रतिबंधित करने के अपने पहले के फैसले को दोहराते हुए दिनांक 14.08.2017 का आदेश पारित किया-कॉलेज द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका-सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 13.11.2017 के आदेश के माध्यम से भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को निर्देश दिया कि वह शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए महाविद्यालय के आवेदन को शैक्षणिक वर्ष के लिए वैध मानने का निर्देश दिया और इसे कानून के अनुसार संसाधित करे-एमसीआई ने फिर से निरीक्षण किया, गंभीर कमियां पाई गईं और केंद्र सरकार को 150 एमबीबीएस छात्रों के तीसरे बैच को शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए प्रवेश देने की अनुमति का नवीनीकरण न करने की सिफारिश की गई। 1999 के विनियमों के विनियम 8(3)(1)(ए) को लागू करने के लिए भारत सरकार ने महाविद्यालय के सुनवाई का अवसर दिया और दायर दस्तावेजों के मद्देनजर एम.सी.आई. से उस विचार करने और निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया। कॉलेज ने रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने एम.सी.आई. को 5 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया-निरीक्षण समिति ने मामले पर विचार किया और पाया कि एक बार विनियमन 8(3)(1)(ए) लागू होने

के बाद परिष्द/भारत सरकार के लिए यह अनुमति नही है। कॉलेज द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुपालन पर विचार करे- कॉलेज द्वारा दायर रिट याचिका उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को 10 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया, केन्द्र सरकार ने 31.05.2018 के आदेश के तहत अनुदान न देने का फैसला किया। शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए प्रवेश के लिए अनुमति का नवीनीकरण-कॉलेज द्वारा दायर रिट याचिका, उच्च न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ कॉलेज को अपील पर अनुपालन प्रस्तुत करने का निर्देश देने हुए अनुमति दी गई, विनियम 8(3)(1)(ए) प्रदान करता है कि यदि शिक्षण संकाय और/या निवासियों की कमी 30 प्रतिशत से अधिक और/या बिस्तर अधिभोग 50 प्रतिशत से कम पाई गई है, तो महाविद्यालय को उन्हें अच्छे बनाने और कमियों क अनुपालन करने के लिए उसी शैक्षणिक वर्ष की अनुमति पत्र पर विचार नही किया जाएगा। संबंधित कॉलेज को अच्छी तरह से पता था कि चूँकि पाई गई भारी कमियों को देखते हुए, विनियमन के मद्देनजर अवसर नही दिया जा सकता था। 8(3)(1)(ए)-कॉलेज ने उच्च न्यायालय में लगातार रिट आवेदन दायर किये थे लेकिन नए सिरे से निरीक्षण के लिए प्रार्थना नहीं की थी। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि एम.सी.आई. और ओवरसाठट समिति ने निर्णय लिया था और फिर से अपने निर्णय को दोहराया कि सकलके कारण विनियम 8(3)(1)(ए) के अनुसार पाई गई कमियों के कारण अनुपालन सत्यापन नही किया जा सका- जब सर्वोच्च न्यायालय ने 13.11.2017 को आदेश पारित किया तो यह देखा गया कि निरीक्षण किया जाना चाहिए और कॉलेज को कर्मियों का अनुपालन करने का अवसर दिया जाना चाहिए । समापन भाग में यह देखा गया है कि निर्णय कानून के अनुसार होना चाहिए । सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी इस प्रश्न का निर्णय नही किया कि यदि कमियाँ पाई गई तो क्या किया जाएगा। विनियम 8(3)(1)(ए) में निहित के अनुसार सकल होना चाहिए क्या उक्त विनियम को नजर-अंदाज किया जाना चाहिए- दिनांक 31.05.2018 के आदेश को रद्द करने का कोई मामला नही बनाया गया-उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया 1.1 पाई गई सकल कमियों को देखते हुए, विनियमन 8(3)(1)(ए) को देखते हुए कोई अनुपालन सत्यापन नहीं किया जा सकता था। यह पहले से ही सशर्त अनुमति का मामला था जिसे कमियों को दूर करने के अधीन दिया गया था और लगातार निरीक्षणों में यह पाया गया कि कॉलेज अनुपालन नहीं कर रहा था और कमियों को दूर नहीं कर रहा था। जब उच्चतम न्यायालय ने 13.11.2017 को आदेश पारित किया, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि निरीक्षण किया जाना चाहिए और कॉलेज को कमियों का अनुपालन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। समापन भाग में यह देखा गया कि निर्णय कानून के अनुसार होना चाहिए। इस न्यायालय ने कभी भी यह निर्णय नहीं लिया कि क्या उक्त विनियमन को नजरअंदाज किया जाना चाहिए जैसा कि विनियमन 8(3)(1)(ए) में निहित कमियों को सकल पाया गया था। इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां स्पष्ट रूप से मुख्य प्रावधान पर आधारित थीं, जिसके लिए एक अवसर दिए जाने की आवश्यकता होती है, जब तक कि कमियां ऐसी न हों जिन्हें विनियमन 8(3)(1)(ए) के परंतुक (ए) में विचार के अनुसार "सकल" कहा जा सकता है, जिसे संशोधित किया गया है। [कंडिका 23] [942-जी-एच; 943-ए-बी]

1.2 विनियमन 8(3)(1)(ए) में प्रावधान है कि यदि शिक्षण संकाय और/या निवासियों की कमियां 30 प्रतिशत से अधिक और/या बिस्तरों पर बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत से कम पाई जाती है, तो कॉलेज उन्हें अच्छा बनाने का हकदार नहीं होगा और उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमति पत्र जारी करने के लिए कमियों के अनुपालन पर विचार नहीं किया जाएगा। कॉलेज ने 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय में लगातार रिट आवेदन दायर किए थे, लेकिन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में नए सिरे से निरीक्षण के लिए प्रार्थना नहीं की, यह जानते हुए कि एमसीआई और निगरानी समिति ने निर्णय लिया था और फिर से अपने निर्णय को दोहराया कि विनियमन 8(3)(1)(ए) के अनुसार पाई गई सकल कमियों के

कारण, अनुपालन सत्यापन नहीं किया जा सकता था। कॉलेज पर यह दायित्व था कि वह अनुपालन पर विचार करने की राहत के लिए समय पर दबाव डाले, जिस पर उसने जोर नहीं दिया और उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश 1.8.2018 के माध्यम से इसका आदेश देने में बहुत देर हो गई थी, भले ही यह अनुमेय हो। [पैरा 24,25] [943-सी. डी.]

1.3 इस न्यायालय का 13.11.2017 को आदेश पारित करने का उद्देश्य यह था कि महाविद्यालय का शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए नए सिरे से निरीक्षण किया जाए, लेकिन यह उस समय इस न्यायालय के विचार में भी नहीं था कि नए सिरे से निरीक्षण करने पर कमियों की प्रकृति क्या होगी। अवलोकन पर केवल तभी विचार किया जाना चाहिए जब ऐसी कमियां पाई गई हों, 30 प्रतिशत से अधिक संकाय और निवासियों और/या बिस्तर अधिभोग 50 प्रतिशत से कम हो, आगे कोई अनुपालन सत्यापन अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय के निर्णय को उसके संबंध में निर्णय के रूप में नहीं लिया जा सकता है जब कमियां सकल पाई जाती हैं जहां विनियमन 8(3)(1) का परंतुक लागू होता है। इस न्यायालय का निर्णय मुख्य प्रावधान पर आधारित था कि सामान्य रूप से उन कमियों को दूर करने का अवसर दिया जाना चाहिए जो विनियमन 8(3)(1)(ए) में उल्लिखित प्रतिशत के भीतर नहीं आती हैं। इस प्रकार, न्यायालय का कभी भी विनियमन 8(3)(1)(ए) के प्रावधान को पारित करने का इरादा नहीं था। यह आदेश नहीं दिया गया था कि विनियमन 8(3)(1)(ए) के प्रावधान के बावजूद, अनुपालन का अवसर दिया जाए। निर्णय उस प्रश्न के लिए एक प्राधिकरण है जिस पर विचार किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। इस न्यायालय ने उपरोक्त पहलू पर निर्णय नहीं लिया था और न ही यह स्पष्ट था क्योंकि 13.11.2017 द्वारा नए सिरे से निरीक्षण नहीं किया गया था। अतः, इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का अर्थ यह नहीं लिया जा सकता है कि यद्यपि संकाय और निवासियों में 30 प्रतिशत से अधिक कमियां पाई जाती हैं और बिस्तरों पर बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत है

और विनियमन 8(3)(1)(ए) में निहित प्रावधानों के बावजूद, अनुपालन का अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के आदेश के उद्देश्य पर विचार करने में कानूनी रूप से गलती की है। [कंडिका 26] [945-ए-ई]

1.4 नए मूल्यांकन में पाई गई कमियों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कॉलेज को वास्तव में भारत सरकार या एमसीआई द्वारा कभी भी स्पष्ट मान्यता नहीं दी गई थी, यह केवल इस न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के आग्रह पर ही था कि सशर्त अनुमति दी गई और गंभीर कमियां पाई गईं। इस प्रकार, कॉलेज विनियमन 8(3)(1)(ए) को ध्यान में रखते हुए आगे किसी भी प्रकार की छूट का हकदार नहीं था। भारत सरकार द्वारा पारित 31.5.2018 दिनांकित आदेश को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनाया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार किया जा सकता है। [कंडिका 27,28] [945-एफ, जी; 946-ए-बी]

भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य बनामवेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडेमिक एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य **(2018) 7 एससीसी 225;** *भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम मल्ला रेड्डी आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य* **2016 की दीवानी अपील संख्या- 4812 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27.04.2016 को निर्णय लिया गया;** *रॉयल मेडिकल ट्रस्ट (पंजीकृत) और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य* **(2015) 10 एससीसी 19-संदर्भित।**

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

(2018) 7 एससीसी 225	**संदर्भित**	**कंडिका 13**
(2015) 10 एससीसी 19	**संदर्भित**	**कंडिका 24**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2018 की दीवानी अपील संख्या 0352

2018 की रिट याचिका (सी) संख्या 6656 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 01.08.2018 के निर्णय और आदेश से।

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौरव शर्मा, प्रतीक भाटिया, धवल मोहन, अमनदीप कौर, अभिषेक श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अपीलार्थी के लिए।

मनिंदर सिंह, ए.एस.जी., प्रदीप राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, जे.एस. भसीन, निशांत शोकीन, टी. महिपाल, संजय कुमार पाठक, अनमोल चंद्र, नलिन कोहली, सुश्री निमिषा मेनन, जी. एस. मक्कर, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था। 1. मामले की पृष्ठभूमि से संकेत मिलता है कि कॉलेज की स्थापना निगरानी समिति द्वारा दिनांकित 20.8.2016 पत्र के माध्यम से जारी निर्देश के अनुसार की गई थी। एमसीआई द्वारा भारत सरकार को नकारात्मक सिफारिश की गई थी। हालाँकि, निगरानी समिति के दिनांक 20.8.2016 के पत्र को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा 150 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक वर्ष 2016-17 में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए सशर्त अनुमति दी गई थी। शर्तों में कहा गया था कि बाद के निरीक्षण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि कॉलेज में कमी थी तो मेडिकल कॉलेज को दो शैक्षणिक वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

2. 7/8.11.2016 को, एमसीआई की एक टीम द्वारा यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया गया था कि क्या कॉलेज ने कमियों को दूर करके 20.8.2016 दिनांकित पत्र के माध्यम से निगरानी समिति और भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन किया था। मूल्यांकनकर्ताओं की प्रतिवेदन पर विचार करने पर एमसीआई की कार्यकारी समिति ने 22.12.2016 की आयोजित अपनी बैठक में कॉलेज में सकल कमियों को पाया और यह देखा गया कि कॉलेज कमियों को दूर करने और लगाई गई शर्तों को पूरा करने में विफल रहा और

उपक्रम का पालन करने में भी विफल रहा और इस तरह 26.12.2016 को कॉलेज को दो साल यानी 2017-18 और 2018-19 के लिए प्रतिबंधित करने और कॉलेज द्वारा प्रस्तुत 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने की सिफारिश की गई।

3. भारत सरकार ने परिषद की सिफारिश पर उचित विचार करने पर, सिफारिश को स्वीकार कर लिया और कॉलेज को दो शैक्षणिक वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया, और परिषद को दिनांकित 31.5.2017 आदेश के माध्यम से बैंक गारंटी को भुनाने की भी अनुमति दी।

4. महाविद्यालय ने 2017 की डब्ल्यू. पी. [सी] सं.- 1825 छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में दाखिल किया और इसका निपटारा दिनांक 3.8.2017 के आदेश के माध्यम से किया गया था। न्यायालय ने भारत सरकार को कॉलेज के मामले पर पुनर्विचार करने और कॉलेज के प्रतिनिधित्व पर एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके अनुसरण में, भारत सरकार ने फिर से कॉलेज को सुनवाई का अवसर दिया और 14.8.2017 को एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया और कॉलेज के छात्रों को प्रवेश देने से रोकने और बैंक गारंटी को भुनाने के पहले के निर्णय को दोहराया गया।

5. भारत सरकार द्वारा पारित दिनांक 14.8.2017 के आदेश से व्यथित, कॉलेज ने 2017 की डब्ल्यू. पी. [सी] सं.- 776 दायर की। इस न्यायालय ने दिनांक 13.11.2017 के आदेश के माध्यम से एमसीआई को निर्देश दिया कि वह शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन को शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए वैध माने और इसे कानून के अनुसार संसाधित करे।

6. इसके बाद, उपरोक्त रिट याचिका में 13.11.2017 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, एमसीआई के मूल्यांकनकर्ताओं ने फिर से 5/6.12.2017 को निरीक्षण किया। आकलनकर्ताओं की रिपोर्ट को 14.12.2017 को आयोजित अपनी बैठक में

कार्यकारी समिति के समक्ष रखा गया था। आधारभूत संरचना, नैदानिक सामग्री, शिक्षण संकाय और अन्य परिचर भौतिक सुविधाओं आदि के संबंध में महाविद्यालय में सकल कमियां पाई गईं। इसलिए, परिषद की कार्यकारी समिति ने केंद्र सरकार से शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए 150 एमबीबीएस छात्रों के तीसरे बैच को प्रवेश देने की अनुमति का नवीनीकरण नहीं करने और नए मेडिकल कॉलेज विनियम, 1999 की स्थापना के विनियम 8(3)(1)(ए) को लागू करने की सिफारिश की क्योंकि 'शिक्षण संकाय', निवासियों और बिस्तर अधिभोग की कमी उक्त विनियमों में निर्धारित प्रतिशत से बहुत कम पाई गई थी ताकि उसी शैक्षणिक वर्ष में उनका नवीनीकरण किया जा सके। कार्यकारी समिति के निर्णय पर निगरानी समिति द्वारा विचार किया गया और उसके बाद परिषद ने इस मामले पर विचार किया और अपनी सिफारिशें भारत सरकार को 6.1.2018 को भेजीं। भारत सरकार ने सुनवाई का अवसर प्रदान किया जैसा कि दिनांक 12.2.2018 के संचार से स्पष्ट है। भारत सरकार ने अपीलार्थी द्वारा दायर अनुपालन दस्तावेजों को देखते हुए परिषद से इस पर विचार करने और निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया।

7. 23.2.2018 को कॉलेज का मामला 21.2.2018 को अपनी बैठक में परिषद की उप-समिति के समक्ष रखा गया था। महाविद्यालय के खिलाफ 1999 के विनियमों के विनियम 18(3)(1)(ए) को लागू किया गया था। इसके बाद मामले को 23.2.2018 दिनांकित पत्र के माध्यम से निगरानी समिति को भेजा गया था। अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले, कॉलेज ने 2018 की डब्ल्यू. पी. [सी] सं.- 2022 दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.03.2018 के आदेश के माध्यम से याचिका का निपटारा किया और एमसीआई को 5 सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

8. निरीक्षण समिति ने मामले पर विचार किया और 8.3.2018 दिनांकित पत्र के माध्यम से एमसीआई के निर्णय को मंजूरी दी और यह देखा गया कि एक बार विनियमन

8(3)(1)(ए) लागू किए जाने के बाद, भारत की परिषद/सरकार के लिए कॉलेज द्वारा सूचित अनुपालन पर विचार करना अस्वीकार्य था।

9. कॉलेज का मामला 24.3.2018 को परिषद की कार्यकारी समिति के समक्ष रखा गया था। कार्यकारी समिति ने इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए और उक्त विनियमन पर विचार करते हुए केंद्र सरकार को शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए 150 एमबीबीएस छात्रों के तीसरे बैच के लिए अनुमति का नवीनीकरण नहीं करने की सिफारिश करने के पहले के निर्णय को दोहराने का निर्णय लिया। परिषद के निर्णय को 28.3.2018 पर निगरानी समिति को सूचित किया गया था। अंततः इसे भारत सरकार को दिनांकित 13.4.2018 पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था।

10. इससे पहले कि भारत सरकार अंतिम निर्णय ले पाती, कॉलेज ने 2018 की डब्ल्यू. पी. [सी] सं.- 4897 दायर कर दी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 8.5.2018 आदेश के माध्यम से तय किया गया था और केंद्र सरकार को 10 दिनों की अवधि के भीतर कॉलेज के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। केंद्र सरकार ने सिफारिश पर विचार करने के बाद 31.5.2018 को एक आदेश पारित किया और मूल्यांकन प्रतिवेदन में पाई गई सकल और गंभीर कमियों को देखते हुए, शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए प्रवेश के लिए अनुमति का नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय लिया।

11. महाविद्यालय ने दिनांक 31.5.2018 के आदेश के विरुद्ध 2018 की डब्ल्यू. पी. [सी] सं.- 6656 दायर किया। उच्च न्यायालय ने दिनांकित 1.8.2018 आदेश के माध्यम से अनुमति दी है और कॉलेज को अनुपालन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है और एमसीआई को निर्देश दिया है कि वह संबंधित शैक्षणिक वर्ष यानी 2018-19 के लिए अनुमति के नवीनीकरण के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कॉलेज का निरीक्षण करे।

12. उच्च न्यायालय ने राय दी है कि अनुपालन करने और कमियों को दूर करने का अवसर देने के लिए इस न्यायालय द्वारा 13.11.2017 को पारित आदेश में दिए गए निर्देश को देखते हुए, अनुमति दी जानी चाहिए थी। हालाँकि इस न्यायालय ने आदेश पारित करते समय विनियमन 8(3)(1)(ए) की प्रयोज्यता पर विचार नहीं किया, लेकिन निर्देश बाध्यकारी था क्योंकि इस न्यायालय से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था।

13. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि इस न्यायालय ने मामले का फैसला 13.11.2017 को किया है, लेकिन इसका उद्देश्य कभी भी विनियमन 8(3)(1)(ए) की प्रयोज्यता के बारे में निर्णय लेना नहीं था क्योंकि यह भविष्य में किया जाने वाला निरीक्षण के निर्णय के परिणाम पर निर्भर था और सामान्य रूप से, अनुपालन का अवसर दिया जाना चाहिए, जो विनियमन 8(3)(1) के परंतुक के तहत आने वाले मामलों में निहित अपवाद के अधीन है। हालाँकि, किए गए निरीक्षणों में पाई गई कमियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा 13.11.2017 पर जारी निर्देश के अनुपालन में, यह कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए खुला था और केवल उस स्थिति में जब कमियाँ इतनी सकल नहीं थीं जितनी विनियमन 8 (3) (1) (ए) के तहत विचार किया गया था, अनुपालन करने के लिए एक अवसर देने की आवश्यकता थी, अन्यथा नहीं। उन्होंने इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है *भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य बनाम वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडेमिक एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। (2018) 7 एससीसी. 225 और भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम मल्ला रेड्डी आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य*- 2016 का सी. ए. सं.- 4812 दिनांक 27.4.2016 को तय किया गया।

14. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से, यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय का निर्देश स्पष्ट था कि अनुपालन करने का अवसर दिया जाना चाहिए और प्रतिवेदन किए गए अनुपालन पर विचार किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश

का घोर उल्लंघन हुआ है, इसलिए हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया जाता है क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश केवल इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश का पालन करने का निर्देश देता है।

15. मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य से जो सामने आता है वह यह है कि कॉलेज को कभी भी एमसीआई द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। भारत सरकार को निरीक्षण समिति द्वारा जारी निर्देश को देखते हुए सशर्त आधार पर अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। चूंकि कमियां थीं और यह सशर्त अनुमति का मामला था, इसलिए कमियों को दूर करने की आवश्यकता थी और उसके बाद वर्ष 2016 में और फिर 2017 में किए गए निरीक्षण में यह पाया गया कि कॉलेज ने कमियों को दूर नहीं किया था और शर्तों को पूरा नहीं किया था। इस न्यायालय की निगरानी समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए सशर्त अनुमति देने का निर्णय लेने के बाद, भारत सरकार को इसे स्वीकार करना पड़ा जैसा कि दिनांक 20.8.2016 के संचार से स्पष्ट है। यह स्पष्ट रूप से भारत सरकार के आदेश द्वारा एक सशर्त अनुमति थी कि यदि कॉलेज शर्तों का पालन करने में विफल पाया जाता है तो इसे दो शैक्षणिक वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस तरह की सशर्त अनुमति आमतौर पर नहीं दी जाती है, जबकि एक नए कॉलेज की स्थापना की आवश्यकता होती है। फिर भी, यह उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर दिया गया था।

16. इसके बाद, 26.12.2016 पर सशर्त अनुमति को देखते हुए एक मूल्यांकन किया गया और कॉलेज में गंभीर कमियां पाई गईं। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा कॉलेज पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाने और बैंक गारंटी को भुनाने का निर्णय लिया गया। महाविद्यालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2017 के आदेश के माध्यम से कॉलेज के प्रतिनिधित्व पर पुनर्विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। भारत सरकार ने सिफारिश पर विचार

किया, सुनवाई को मंजूरी दी और 14.8.2017 के आदेश के माध्यम से अपने पहले के निर्णय को दोहराया।

17. इसके बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 यानी 2017 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 776 के तहत सीधे इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। जिसमें इस न्यायालय ने 13.11.2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई हैः-

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांकित 14.8.2017 के निर्णय को रद्द करते हुए, याचिकाकर्ता-संस्थान को शैक्षणिक वर्षों 2017-18 और 2018-19 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश नहीं देने का निर्देश देना और प्रत्यर्थी संख्या-2-भारतीय चिकित्सा परिषद (एम. सी. आई.) को भी 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने के लिए अधिकृत किया जो याचिकाकर्ता संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

(ii) प्रतिवादी सं.- 2 द्वारा की गई दिनांक 26.12.2016 की सिफारिशों को रद्द करना। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को याचिकाकर्ता संस्थान के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को।

(iii) प्रत्यर्थी संख्या-1 को निर्देश जारी करना। भारत सरकार निगरानी समिति की दिनांक 14.05.2017 की सिफारिश के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2018-18 के लिए पहली बार नवीनीकरण की अनुमति देगी और याचिकाकर्ता-संस्थान को शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए 150 एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश देने की भी अनुमति देगी।

(iv) प्रत्यर्थी संख्या-1 को निर्देश जारी करना। भारतीय संघ ने निगरानी समिति की अनुशंसाओं के संदर्भ में सशर्त अनुमति पत्र (एल. ओ. पी.) की पुष्टि

करने के लिए दिनांक 14.5.2017 और प्रत्यर्थी सं.2 को दिशानिर्देश-भारतीय चिकित्सा परिषद को 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने देने का निर्देश देगा।

याचिकाकर्ताओं ने निर्देश के लिए एक आवेदन भी दायर किया है (2017 का आई. ए. संख्या. 82637), उसी प्रार्थना के साथ जैसा कि ऊपर क्रम संख्या (iii) में उल्लेख किया गया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह ने प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से ए.एस.जी. भारत संघ और श्री गौरव शर्मा, प्रतिवादी संख्या-2 ए के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद। याचिकाकर्ताओ के विद्वान अधिवक्ता मनिंदर सिंह, प्रतिवादी संख्या-1 के विद्वान ए.एस.जी. प्रतिवादी संख्या-2 के लिए भारत संघ और गौरव शर्मा, भारतीय चिकित्सा परिषद को सुना।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रॉयल मेडिकल ट्रस्ट और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसलों को ध्यान में रखते हुए। भारत संघ और एक अन्य 2017 के [डब्ल्यू. पी. [सी] सं.-747 में ने 12.9.2017 को निर्णय लिया], अन्नाई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य 2017 के [डब्ल्यू. पी. [सी.] संख्या-525 में 14.9.2017 को निर्णय लिया गया और भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम अनंत चैरिटेबल एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य, 2017 [एस. एल. पी. [सी.] संख्या-17732 में 30.10.2017 को निर्णय लिया गया है], यह निर्देश दिया जाता है कि एम. सी. आई. शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए सशर्त एल. ओ. पी. के आधार पर याचिकाकर्ता-संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देगा। एमसीआई शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए अनुसूची के अनुसार याचिकाकर्ता-संस्थान के निरीक्षण के लिए एक दल भेजेगा। नवीकरण के लिए

शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए संस्थान द्वारा दायर आवेदन को शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए आवेदन के रूप में माना जाएगा। यदि निरीक्षण दल द्वारा कमियों को उल्लेख किया जाता है, तो उन्हें संस्थान के ध्यान में लाया जाएगा, और उन्हें एक निर्दिष्ट समय के भीतर उन्हें हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी। इसके बाद, इस मामले को एमसीआई की कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाएगा। यदि अभी भी किसी कमी को दूर करने की आवश्यकता है, तो उसे संस्थान द्वारा एक निर्दिष्ट समय के भीतर हटा दिया जाएगा, और यदि संस्थान एक अनुपालन संस्थान है, तो शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए एल. ओ. पी. की पुष्टि और शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए अनुमति के नवीनीकरण के अनुरोध पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है।

मंत्रालय एमसीआई से सिफारिश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर अम्मा चंद्रावती एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा गठित सुनवाई समिति की सहायता लेकर अंतिम निर्णय लेगा। भारत संघ और एक अन्य। 2017 के [WP[C] संख्या-408 में 18.7.2017 को निर्णय लिया] या उक्त निर्णय में और कानून के अनुसार अन्य निर्देश।

हम आगे निर्देश देते हैं कि जब तक मंत्रालय द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है और संस्थान को सूचित नहीं किया जाता है, तब तक संस्थान एम.सी.आई. द्वारा 2 करोड़ रुपये की राशि में दी जाने वाली बैंक गारंटी भुनाया नहीं जाएगा। लेकिन संस्थान इसे जीवित रखेगा। यदि इस बीच एमसीआई द्वारा बैंक गारंटी को पहले ही भुनाया जा चुका है, तो राशि को संस्थान को वापस कर दिया जाएगा, जो राशि की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह के भीतर एमसीआई को इतनी ही राशि में एक नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

एमसीआई के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ताओं को निरीक्षण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी यदि इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस आदेश के संदर्भ में आयोजित किए जाने वाले निरीक्षण के लिए शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए एलओपी की पुष्टि और शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए नवीनीकरण आवेदन पर विचार करने के लिए।

यदि केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी का अंतिम निर्णय संस्थान के लिए प्रतिकूल है, तो संस्थान के लिए ऐसे उपायों का सहारा लेने के लिए खुला होगा जो कानून में अनुमत हो सकते हैं।

हम आगे यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी संख्या- 2 शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए संस्थान द्वारा प्रस्तुत नवीनीकरण आवेदन को शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए किया गया माना जाएगा और इसे कानून के अनुसार शीघ्रता से संसाधित किया जाएगा।

2017 की रिट याचिका और आई. ए. संख्या- 82637 का उपरोक्त शर्तों में निपटान किया जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।"

18. एमसीआई के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा 5/6.12.2017 को निरीक्षण किया गया था जिसमें विभिन्न सकल कमियां पाई गईं। यह भी स्पष्ट है कि एमसीआई की कार्यकारी समिति ने दिनांक 05/06.12.2017 की मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मंत्रालय को अपने दिनांक 06.01.2018 के पत्र के माध्यम से विनियमन 8(3)(1)(ए) को लागू करने और इस तरह कॉलेज की ओर से दायर आवेदन को अस्वीकार करने की सिफारिश की। कार्यकारी समिति के उक्त निर्णय को 3.1.2018 पर निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। विनियम 8(3)(1)(ए) के पहलू पर, कॉलेज को 5.2.2018 पर सुनवाई की अनुमति दी गई थी। 12.02.2018 को मंत्रालय ने एम. सी. आई. को समीक्षा पर विचार

करने और सिफारिशें करने का निर्देश दिया। एमसीआई की उप-समिति ने 21.2.2018 पर अपनी बैठक में इस सवाल पर विचार करने के लिए मामले को निगरानी समिति को भेजा कि क्या सत्यापन मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी।

19. एमसीआई की कार्यकारी समिति के दिनांक 6.1.2018 के निर्णय पर सवाल उठाते हुए, कॉलेज ने 2018 की डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 2022 दायर किया। जिसका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 6.3.2018 को निपटारा किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नलिखित हैः

> "याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता को अनुमति के नवीनीकरण की अस्वीकृति की सिफारिश करते हुए दिनांक 6.1.2018 का आक्षेपित आदेश जारी करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता को 5.2.2018 को सुनवाई की अनुमति दी थी और याचिकाकर्ताओं को सुनने पर, प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता के आवेदन की समीक्षा करने के अनुरोध के साथ मामले को प्रतिवादी संख्या 2 को वापस भेज दिया था।
>
> आज, याचिकाकर्ता का विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि वर्तमान में, वह संतुष्ट होगा, यदि प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता के मामले की समयबद्ध तरीके से समीक्षा करने का निर्देश दिया जाता है। वे प्रस्तुत करते हैं कि विनियमों के तहत निर्धारित समय सीमा और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यदि प्रतिवादी समय पर निर्णय नहीं लेते हैं, तो गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा।
>
> अग्रिम सूचना पर उपस्थित होने वाले प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता, न्यायालय को आश्वस्त करते हैं कि याचिकाकर्ता के आवेदन की समीक्षा पर निर्णय प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा विनियमों के अनुसार 5 सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और

साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को लिखे गए दिनांकित 13.12.2018 पत्र की सामग्री भी ली जाएगी।

वर्तमान याचिका का तदनुसार 5 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए बयान के लिए बाध्यकारी प्रतिवादी संख्या 2 का निपटारा किया जाता है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान आदेश, दोनों पक्षों के अधिकारों और तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पारित किया गया है।

यदि याचिकाकर्ता अभी भी प्रत्यर्थियों द्वारा पारित किसी भी आदेश से व्यथित हैं, तो वे कानून के तहत अनुमत कानूनी सहारा ले सकते हैं।"

उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि इस तथ्य के बावजूद कि कॉलेज को पता था कि विनियमन 8 (3) (1) (ए) को देखते हुए, मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा पाई गई कमियों को देखते हुए नए सिरे से निरीक्षण नहीं किया जाना था और अनुपालन पर विचार नहीं किया जा सकता था, उपरोक्त रिट याचिका में कॉलेज ने केवल समयबद्ध तरीके से समीक्षा के लिए प्रार्थना पर जोर दिया। इसने इस बात पर जोर नहीं दिया कि अनुपालन पर इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए; जबकि उपरोक्त विनियमों के प्रावधान पहले से ही आकर्षित थे।

20. निरीक्षण समिति ने राय दी कि विनियमन 8(3)(1)(ए) में दी गई सकल कमियों को देखते हुए अनुपालन पर निम्नलिखित तरीके से विचार नहीं किया जा सकता था और निरीक्षण समिति का निर्णय इसके तहत लिया गया हैः

"ऊपर निर्दिष्ट मेडिकल कॉलेज विनियम, 1999 की स्थापना के विनियम 8(3)(1)(ए) के प्रावधान को देखते हुए, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि "ऐसे संस्थान से कमियों के सुधार के अनुपालन पर उस शैक्षणिक वर्ष में अनुमति के

नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा", परिषद को कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन/प्रतिनिधित्व पर विचार करने की कानूनी रूप से अनुमति नहीं है।"

इसके बाद एमसीआई ने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए नवीनीकरण आवेदन को अस्वीकार करने की सिफारिश की थी।

21. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अच्छी तरह से जानता था कि पाई गई सकल कमियों को देखते हुए, विनियमन 8(3)(1)(ए) को देखते हुए कोई अवसर नहीं दिया जा सकता था। महाविद्यालय ने 2018 की डब्ल्यू. पी. [सी] संख्या 4897 दाखिल किया। जिसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा 8.5.2018 को किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नलिखित हैः

"वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं/संस्थानों ने 24 मार्च 2018 को प्रतिवादी संख्या-2, प्रतिवादी संख्या- 2 को याचिकाकर्ताओं के आवेदन की अस्वीकृति की सिफारिश करना। शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के तीसरे बैच (150 सीटें) के नवीनीकरण/अनुमति के लिए। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी नं. 2 उपरोक्त समूह के संबंध में अनुमति के नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं की योजना को स्वीकार करना और यदि आवश्यक हो तो अनुपालन सत्यापन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना और इसलिए अनुमति पत्र जारी करना।

इस स्तर पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि 6 मार्च 2018 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 2/एम. सी. आई. याचिकाकर्ताओं के लंबित आवेदन पर निर्णय लेगा और उसे प्रतिवादी सं. 1 पाँच सप्ताह के भीतर। वह प्रस्तुत करता है कि आज तक, प्रतिवादी सं. 1 ने याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी सं. 1 के किसी भी निर्णय के बारे में सूचित नहीं किया है।

सुश्री अरोड़ा, जो प्रतिवादी सं. 1 के लिए अग्रिम सूचना पर उपस्थित होती हैं। प्रस्तुत करती है कि सिफारिशों की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर उत्तरदाता संख्या- 2, प्रत्यर्थी सं.1 याचिकाकर्ताओं के लंबित आवेदन पर निर्णय लेने के लिए एक अंतिम आदेश पारित करेगा।

एक ओर, श्री टी. सिंघदेव, प्रत्यर्थी संख्या-2 के लिए विद्वान अधिवक्ता, प्रस्तुत करते है कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन के संबंध में इसकी सिफारिशें पहले ही प्रतिवादी संख्या-1 को 13 अप्रैल 2018 को ही भेज दिया गया है।

प्रत्यर्थी संख्या-2 के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए स्पष्ट कथन को ध्यान में रखते हुए कि सिफारिशें पहले ही 13 अप्रैल 2018 को अग्रेषित की जा चुकी हैं, प्रत्यर्थी सं.1 को आज से दस दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले में प्रतिवादी सं. 1 अभी भी प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा की गई सिफारिशों के कब्जे में नहीं है। 13 अप्रैल 2018 के अपने आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी सं. 1 प्रत्यर्थी सं. 2 से तुरंत उसी की एक नई प्रति मांगने के लिए स्वतंत्र होगा।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा लिया गया उक्त अंतिम निर्णय, याचिकाकर्ता को सूचित किया जाएगा जो कानून के तहत अनुमेय कानूनी सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

याचिका और लंबित आवेदनों का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।"

उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि कॉलेज ने फिर से इस बात पर जोर नहीं दिया कि नए सिरे से निरीक्षण किया जाना चाहिए और उसे कमियों का पालन करने की अनुमति दी जा सकती है।

22. जारी किए गए निर्देश के अनुसार, सरकार ने एमसीआई की सिफारिशों पर विचार किया और संस्थान की योजना को अस्वीकार करते हुए 13.11.2017 को आक्षेपित आदेश पारित किया और शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए 150 एमबीबीएस छात्रों के प्रवेश की अनुमति को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया। भारत सरकार ने निम्नलिखित कमियों को उल्लेख कियाः

"परिषद की कार्यकारी समिति ने भगवान बुद्ध एजुकेशनल सोसाइटी और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य द्वारा दायर 2017 की रिट याचिका (सी) संख्या- 776 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2017 के अनुपालन में की गई मूल्यांकन रिपोर्ट (5 और 6 दिसंबर 2017) पर विचार किया। और निम्नलिखित उल्लेख किया गयाः-

1. जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, शिक्षकों की कमी 21 प्रतिशत है।

2. निवासियों की कमी 24.48% है जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।

3. डॉ. नितिका जैन के संबंध में, सुबह और शाम के हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे हैं।

4. डॉ. आर. डब्ल्यू. कांबले के संबंध में नियुक्ति आदेश टी.बी. और चेष्ट के सहायक प्राध्यापक के रूप में है। लेकिन वरिष्ठ निवासी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

5. मूल्यांकन रिपोर्ट में विस्तार से उल्लिखित कारणों के कारण 27 शिक्षकों और निवासियों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

6. रोगी

ए. संबंधित केस संचिकाओं के साथ 72 बिस्तरों पर 38 रोगियों के जनरल मेडिसिन विभाग में, 22 निम्नलिखित कारणों से यूजी शिक्षण उद्देश्यों के लिए अमान्य हैंःबिना किसी जांच कार्य या प्रासंगिक उपचार के बुखार के 8 मामले, वास्तव में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं, उच्च रक्तचाप के 9 रोगी बिना

किसी जांच कार्य के या प्रासंगिक उपचार के बिना अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं, अम्लता के 1 रोगी को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस के 2 रोगी बिना किसी आई. वी. तरल पदार्थ या प्रासंगिक जांच के पर्चे के और उपचार से पता चलता है कि रोगी को अस्पताल में भर्ती होने के लायक कोई बीमारी नहीं है, गुर्दे के उदरशूल के 1 रोगी को बिना किसी जांच साक्ष्य और प्रासंगिक उपचार के अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, 1 को बिना किसी जांच और प्रासंगिक उपचार के अस्पष्ट पेट दर्द के साथ अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी रोगियों में से 5 को आज भर्ती किया गया और 9 को 4.12.2017 को भर्ती किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि मामले की संचिकाओं में दर्ज की गई भर्ती की तारीखें उस तारीख से मेल नहीं खाती थीं जो रोगियों द्वारा मूल्यांकनकर्ता को बताई गई थी जब उनसे मूल्यांकनकर्ता द्वारा पूछा गया था कि उन्हें अस्पताल में कब भर्ती किया गया था। कई मरीज भर्ती होने की सही तारीख नहीं बता सके और या तो स्टाफ नर्स या चिकित्सा अधीक्षक या डॉक्टर या मूल्यांकनकर्ता के साथ गए। ये सभी अवलोकन इन रोगियों की गैर-वास्तविकता का संकेत देते हैं। प्रवेश छुट्टी रजिस्टर में इतने सारे मामलों के निदान की तरह कोई उचित प्रविष्टि नहीं थी। इससे कुल 16 वैध रोगियों को नैदानिक सामग्री के रूप में गिना जाता है।

बी. 24 बिस्तरों पर 20 रोगियों के बाल रोग विभाग में, 14 निम्नलिखित कारणों से अमान्य हैंः- 10 बिस्तरों पर कोई मरीज नहीं था, लेकिन केस की संचिकाएँ बिस्तर पर पड़ी थीं, 3 रोगियों के पास बिना किसी उपचार या एक्स-रे के यूआरआई था। 1 रोगी यू. टी. आई. का था, जिसके मामले की संचिका और किसी भी प्रासंगिक उपचार पर कोई सबूत नहीं था। संचालित पी. यू. जे. की 1 रोगी भीष्म को बिना किसी वैध कारण के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सी. टीबी और श्वसन चिकित्सा विभाग में 8 बिस्तरों पर 6 मरीज बिस्तर पर उपलब्ध थे। किसी की भी केस संचिका में कोई निदान नहीं था; सभी एक इंजेक्शन योग्य रूप में एक ही उपचार प्राप्त कर रहे थे जिसमें दवाएं दिखाने के लिए कहा जा रहा था, वे न तो रोगी के पास उपलब्ध थे और न ही वार्ड में बहन नर्स के साथ या वार्ड स्टोर में यह सुझाव देते हुए कि पूरी चीज कागज पर है और वास्तविक नहीं है।

डी. मनोचिकित्सा विभाग में 8 बिस्तरों पर 6 मरीज बिस्तर पर उपलब्ध थे, किसी की भी केस संचिका में कोई निदान नहीं था; सभी इंजेक्शन के रूप में एक ही उपचार प्राप्त कर रहे थे। दवाओं को दिखाने के लिए कहने पर, वे न तो रोगी के पास उपलब्ध थे और न ही नर्स के साथ वार्ड में या दुकान में यह सुझाव देते हुए कि सारी चीजें कागज पर हैं और वास्तविक नहीं हैं।

ई. बिस्तरों पर उपलब्ध 6 रोगियों के त्वचा विज्ञान विभाग में, सभी 6 में खुजली का निदान किया गया था और वे निराश्रित घरों/वृद्धाश्रमों के व्यक्ति प्रतीत हुए। दी जा रही दवाओं को दिखाने के लिए कहने पर, रोगी के साथ या नर्स के साथ नर्सिंग स्टेशन या वार्ड के स्टोर में कोई दवा नहीं दिखाई जा सकती थी।

एफ. जनरल सर्जरी विभाग में 90 बिस्तरों पर 42 मरीज उपलब्ध थे। निम्नलिखित 15 रोगियों को गिनती के लिए मान्य नहीं माना जाता हैः- जाँच या उपचार पर बिना किसी सबूत के यू. टी. आई. के 2 रोगी को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। गैस्ट्राइटिस के 2 रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। 1 रोगी गायत्री की केस फाइल ने केस शीट के पहले पृष्ठ पर तीव्र आंत्रपुच्छशोथ का निदान दिखाया, लेकिन इसके अंदर उसके पैर की मधुमेह पैर परीक्षा के रूप में लिखा गया था, यह सामान्य पाया गया। 1 रोगी मीनाक्षी के परिचारिका ने बताया कि उन्हें बोलने में सक्षम नहीं होने के कारण भर्ती किया गया था, लेकिन संचिका में लिखा

गया निदान हर्निया था और मूल्यांकनकर्ता द्वारा रोगी की जांच करने पर, कहीं भी कोई हर्निया नहीं पाया गया था। 1 रोगी दुर्पति को 2.12.2017 को लेकिन परीक्षण पर संचालित लिपोमा के रूप में भर्ती किया गया था। मूल्यांकनकर्ता द्वारा जाँच में, कोई ड्रेसिंग या संचालित सिलाई चीरा या संचालित लिपोमा पर कोई ड्रेसिंग नहीं पाई गई। 1 रोगी सुनीता बाई को 2/12/17 पर संचालित फाइब्रोडेनोमा के रूप में भर्ती किया गया था, लेकिन मूल्यांकनकर्ता द्वारा जांच करने पर, कोई ड्रेसिंग या संचालित सिलाई चीरा नहीं पाया गया। 1 रोगी पाचो बाई में मूल्यांकनकर्ता द्वारा पूछने पर सिरदर्द का लक्षण था लेकिन केस संचिका में तीव्र आंत्रपुच्छशोथ का निदान दिखाया गया था। 1 रोगी हितेश्वरी में अस्पष्ट पेट दर्द के लक्षण थे लेकिन केस संचिका पर प्रलेखित निदान लिपोमा था और जांच पर, कोई लिपोमा नहीं था। 1 रोगी कुंज रानी को शल्य चिकित्सा वार्ड में उच्च रक्तचाप के निदान के साथ भर्ती किया गया था (शल्य चिकित्सा रोगी नहीं)। 1 रोगी श्रीधर को शल्य चिकित्सा में कई जोड़ों के दर्द के साथ भर्ती कराया गया था (शल्य चिकित्सा रोगी नहीं)। 1 रोगी लेखरू को सर्जरी वार्ड में कोहनी दर्द के साथ भर्ती किया गया था (सर्जिकल रोगी नहीं)। 1 मरीज चेलिया साहू को सर्जरी में ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ भर्ती कराया गया था (सर्जिकल मरीज नहीं)। 1 मरीज नंद लाल को पीठ दर्द के साथ सर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया था (सर्जिकल मरीज नहीं)।

जी. ऑर्थोपेडिक्स विभाग में 30 बिस्तरों पर भर्ती 24 रोगियों में से 9 यूजी शिक्षण उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित कारणों से अमान्य हैंः- 6 को बिना लम्बर रेडिक्युलोपैथी के साथ भर्ती किया गया था और नैदानिक जांच साक्ष्य से पता चलता है कि उन्हें बढ़ी हुई संख्या दिखाने के लिए भर्ती किया गया है, लेकिन वास्तव में अस्पताल में भर्ती होने लायक बीमारी नहीं है। वे आराम से लेटे हुए थे और उन्हें उचित उपचार नहीं दिया गया था। क्लॉडिकेशन के 1 मरीज को ऑर्थो वार्ड में भर्ती

कराया गया था। क्लॉडिकेशन के 1 मरीज को ऑर्थो वार्ड में भर्ती कराया गया था। ऑस्टियोआर्थराइटिस के 1 रोगी और पॉलीआर्थ्राल्जिया के 1 रोगी को बिना किसी उचित उपचार के नैदानिक-जांच साक्ष्य के भर्ती किया गया था।

एच. ई. एन. टी. विभाग में 10 बिस्तरों पर 6 मरीज हैं, जिनमें से 2 की गिनती नहीं की जाती है। 1 को बिना किसी नैदानिक साक्ष्य और प्रासंगिक उपचार के तीव्र ग्रसनीशोथ के साथ भर्ती किया गया था, इस प्रकार यह सुझाव दिया गया कि इसे अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं थी और दूसरा ई. एन. टी. में भर्ती एक मोतियाबिंद रोगी था।

आई. ओ.बी. और जी.वाई.एन. विभाग में 40 बिस्तरों पर 25 मरीज थे। 10 स्त्री रोग रोगी और 15 प्रसूति रोगी। उन्हें वैध रोगियों के रूप में लिया जा सकता है।

7. जनरल मेडिसिन, साइकियाट्री, स्किन एंड वी. डी., टी. बी. और चेस्ट वार्डों में अधिकांश रोगियों को निराश्रित घरों/वृद्धाश्रमों से लाया गया प्रतीत होता है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन के दिन सुबह 10 बजे वास्तविक रोगियों की बिस्तर अधिभोग दर 33 प्रतिशत थी।

9. मूल्यांकन के दिन दोपहर 2 बजे तक ओ. पी. डी. की उपस्थिति 750 की आवश्यकता के मुकाबले 521 थी जैसा कि मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा सत्यापित किया गया था।

10. यू.एस जी मशीनों के लिए पी.एन.डी.टी. की मंजूरी उपलब्ध नहीं है।

11. ओ.पी.डी.: ओ.पी.डी. के विभिन्न खंड अव्यवस्थित हैं और इधर-उधर फैले हुए हैं और अत्यधिक अव्यवस्थित हैं।

12. संस्थान द्वारा प्रस्तुत रेडियोलॉजिकल और प्रयोगशाला जांचकर्ताओं का डेटा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया प्रतीत होता है।

13. हताहतों की संख्याः ओ.जी. के लिए अलग से हताहत की संख्या उपलब्ध नहीं है। आपदा ट्रॉली, क्रैश कार्ट उपलब्ध नहीं है।

14. आई.सी.यू.: मूल्यांकन के दिन आई. सी. सी. यू. में शून्य रोगी और एस. आई. सी. यू., एन. आई. सी. यू./पी. आई. सी. यू. में 1-1 रोगी था।

15. 3 की आवश्यकता के विरुद्ध 2 स्थिर एक्स-रे मशीनें उपलब्ध हैं।

16. व्याख्यान थिएटरः 3 की आवश्यकता के मुकाबले केवल 2 व्याख्यान थिएटर उपलब्ध हैं। व्यवस्था उचित नहीं है जैसा कि रिपोर्ट में विस्तृत है।

17. छात्रों के छात्रावासः 339 की आवश्यकता के मुकाबले 292 छात्रों के लिए आवास उपलब्ध है।

18. निवासियों का छात्रावासःपहली मंजिल पर कमरे सुसज्जित नहीं हैं।

19. एनाटॉमी विभागः केवल 5 शव उपलब्ध हैं।

20. आरएचटीसीः यह वास्तव में एक सीएचसी है और संस्थान को केवल इसका उपयोग करने की अनुमति है। नियंत्रण डीन के पास नहीं है। सभी रजिस्टरों का रखरखाव सी. एच. सी. के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है न कि कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत गतिविधियाँ सी. एच. सी. के कर्मचारियों द्वारा की जाती हैं न कि कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा।

21. यूएचसीः सर्वेक्षण/एमसीएच/टीकाकरण/एफपी रजिस्टर उपलब्ध नहीं हैं। विशेषज्ञों के दौरे आयोजित नहीं किए जाते हैं।

22. वेबसाइटः अपलोड की गई जानकारी रिपोर्ट में विस्तृत रूप से अस्पष्ट है।

23. एम.ई.यू.: यह नियमों के अनुसार उपलब्ध नहीं है।

24. मूल्यांकन रिपोर्ट में बताई गई अन्य कमियां।

कार्यकारी समिति ने उल्लेख किया कि मेडिकल कॉलेज विनियमन (संशोधन), 2010 (भाग II) की स्थापना का विनियमन 8(3)(1)(ए), दिनांक 16 अप्रैल 2010 और 18 मार्च 2016 को संशोधित, निम्नानुसार प्रदान करता हैः-

"8 (3) (1)....

(ए) अनुमति पत्र के चरण में द्वितीय नवीनीकरण तक के कॉलेज (यानी तीसरे बैच का प्रवेश)

यदि संस्थान के किसी भी निरीक्षण/मूल्यांकन के दौरान यह देखा जाता है कि शिक्षण संकाय और/या निवासियों की कमी 30 प्रतिशत से अधिक है और/या बिस्तर अधिभोग 50 प्रतिशत से कम (पूर्वोत्तर, पहाड़ी इलाकों आदि में 45 प्रतिशत) है।), ऐसे संस्थान से कमियों के सुधार के अनुपालन पर उस शैक्षणिक वर्ष में अनुमति पत्र (एल. ओ. पी.) जारी करने/अनुमति के नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।"

उपरोक्त कमियों को ध्यान में रखते हुए, परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से मेडिकल कॉलेज विनियमन, 1999 की स्थापना के विनियमन 8(3)(1)(ए) को लागू करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया और शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम 3 वें बैच (150 सीटें) की अनुमति के नवीनीकरण के लिए आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 10 ए के तहत रायपुर आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। भारत सरकार ने विनियमन 8(3)(1)(ए) पर भी विचार किया और उपरोक्त आदेश पारित करते समय निरीक्षण समिति और एमसीआई द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। संकाय की कमी 21 प्रतिशत थी,

निवासियों की कमी 24.48% थी, बिस्तरों पर बैठने की क्षमता 33 प्रतिशत पाई गई, ओ. पी. डी. उपस्थिति भी आवश्यकता से कम पाई गई।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उपकरण और बुनियादी ढांचे की अन्य कमियां थीं। विनियम 8 (3) (1) (ए) स्पष्ट रूप से आकर्षित किया गया था जिसे यहाँ निकाला गया हैः

"8. अनुमति का अनुदानः

(3)(1). मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए दी जा सकती है और वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धियों के सत्यापन के अधीन वार्षिक आधार पर नवीनीकरण किया जा सकता है। प्रारंभिक अनुमति की समाप्ति से छह महीने पहले नवीनीकरण के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा परिषद को आवेदन करना व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। अनुमति के नवीनीकरण की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना और अस्पताल की सुविधाओं का विस्तार पूरा नहीं हो जाता और मेडिकल कॉलेज को औपचारिक मान्यता नहीं मिल जाती। जब तक परिषद की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी स्तर पर आगे प्रवेश नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार किसी भी स्तर पर आवेदक को कमियों से अवगत करा सकती है और उसे कमियों को सुधारने का अवसर और समय प्रदान कर सकती है।

नोटः- उपरोक्त खंड में “छः महीने” की नवीनतम “समय-सरणी के अनुसार” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

बशर्ते कि के सम्बन्ध में-

(ए) अनुमति पत्र के चरण में कॉलेज द्वितीय नवीनीकरण (यानी तीसरे बैच का प्रवेश) तक

यदि संस्थान के किसी भी निरीक्षण/मूल्यांकन के दौरान यह देखा जाता है कि शिक्षण संकाय और/या निवासियों की कमी 30 प्रतिशत से अधिक है और/या बिस्तर अधिभोग 50 प्रतिशत से कम (पूर्वोत्तर, पहाड़ी इलाकों आदि में 45 प्रतिशत) है।), ऐसे संस्थान से कमियों के सुधार के अनुपालन पर उस शैक्षणिक वर्ष में अनुमति पत्र (एल. ओ. पी.) जारी करने/अनुमति के नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।"

23. पाई गई सकल कमियों को देखते हुए, विनियमन 8(3)(1)(ए) को देखते हुए कोई अनुपालन सत्यापन नहीं किया जा सकता था। यह पहले से ही सशर्त अनुमति का मामला था जिसे कमियों को दूर करने के अधीन दिया गया था और लगातार निरीक्षणों में यह पाया गया कि कॉलेज अनुपालन नहीं कर रहा था और कमियों को दूर नहीं कर रहा था। जब इस न्यायालय ने 13.11.2017 को एक आदेश पारित किया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय ने कहा है कि निरीक्षण किया जाना चाहिए और कॉलेज को कमियों का अनुपालन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। समापन भाग में यह देखा गया कि निर्णय कानून के अनुसार होना है। इस न्यायालय ने विनियमन 8(3)(1)(ए) में निहित कमियों को सकल पाए जाने के मामले में कभी भी यह निर्णय नहीं लिया कि क्या उक्त विनियमन को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां स्पष्ट रूप से मुख्य प्रावधान पर आधारित थीं, जिसके लिए एक अवसर दिए जाने की आवश्यकता होती है, जब तक कि कमियां ऐसी न हों जिन्हें विनियमन 8(3)(1)(ए) के परंतुक (ए) में "सकल" माना जा सकता है, जिसे संशोधित किया गया है।

24. विनियमों के साथ-साथ निर्णय का प्रभाव *रॉयल मेडिकल ट्रस्ट (पंजीकृत) और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य (2015)* 10 एससीसी 19 *वेदांत* (ऊपर) में इस न्यायालय के विचार के लिए आया। विनियम 8(3)(1)(ए) में प्रावधान है कि यदि शिक्षण संकाय और/या निवासियों की कमियां 30 प्रतिशत से अधिक और/या बिस्तरों पर बैठने की

क्षमता 50 प्रतिशत से कम पाई जाती है, तो कॉलेज उन्हें अच्छा बनाने का हकदार नहीं होगा और उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमति पत्र जारी करने के लिए कमियों के अनुपालन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विनियम 8 (3) (1) (ए) को ध्यान में रखते हुए अनुपालन सत्यापन का आदेश नहीं दिया जा सकता था। *वेदांत* (ऊपर) में प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया हैः

> "10. हालाँकि विनियम 8(3)(1)(ए) को उत्तरदाता 1 और 2 द्वारा दायर रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, लेकिन उन्होंने राहत के लिए दबाव नहीं डाला। उन्होंने अपनी चुनौती को निरीक्षण के तरीके और अपीलार्थी-परिषद को नए सिरे से निरीक्षण करने के निर्देश तक सीमित कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा विनियमन 8(3)(1)(ए) की व्याख्या स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय ने विनियमन 8(3)(1) के परंतुक पर ध्यान नहीं दिया। प्रावधान की उचित जांच के बिना, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए गलती की कि विनियमन 8(3)(1)(ए) केवल उन कॉलेजों पर लागू होगा जो दूसरे नवीनीकरण यानी तीसरे बैच के प्रवेश की मांग कर रहे हैं। दूसरे नवीनीकरण यानी तीसरे बैच में प्रवेश तक के प्रवेश विनियमन 8(3)(1)(ए) के तहत आते हैं। दूसरे शब्दों में, परंतुक केवल दूसरे नवीकरण मामलों तक ही सीमित नहीं है। यहां तक कि पहला नवीनीकरण भी विनियमन 8(3)(1) के परंतुक (ए) द्वारा कवर किया गया है क्योंकि उपयोग की जाने वाली भाषा "दूसरे नवीनीकरण तक" है। हम एक ओर अधिनियम की धारा 10-ए (3) और (4) और दूसरी ओर विनियम 8(3)(1) (ए) के बीच कोई टकराव नहीं देखते हैं। विनियम 8(3)(1)(ए) अधिनियम की धारा 10-ए का पूरक है। न्यूनतम मानकों को तय करना जो एक मेडिकल कॉलेज को नए सिरे से निरीक्षण करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से पूरा किया जाना है, इसके विपरीत धारा 10-ए की योजना नही होगी। वास्तव में, विनियम 8(3)(1) में प्रावधान है कि मेडिकल कॉलेज को दोषों को सुधारने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन, परंतुक

में विचार किया गया है कि कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा किया जाना चाहिए यानी शिक्षण संकाय और/या निवासियों की कमी 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और/या बिस्तर अधिभोग 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। पुनः निरीक्षण प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए मानकों का यह प्रिस्क्रिप्शन विनियमन या अधिनियम की धारा 10-ए के अधिकार से बाहर नहीं है।

11. अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन पर, हमारी राय है कि जिस तरीके से निरीक्षण किया गया था, उसके बारे में उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष भी सही नहीं है। यादृच्छिक सत्यापन पर 45.30 प्रतिशत पर बिस्तर अधिभोग उत्तरदाता 1 और 2 का दावा था। हालांकि, निरीक्षण प्रतिवेदन से पता चलता है कि आवश्यक न्यूनतम 300 रोगियों में से केवल 3, 25 सितंबर 2017 को सुबह 10.00 पर उपलब्ध थे। भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम कलिंग आयुर्विज्ञान संस्थान, (2016) 11 एस. सी. सी. 530 के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चिकित्सा शिक्षा को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और जब कोई विशेषज्ञ निकाय प्रमाणित करता है कि एक चिकित्सा महाविद्यालय में सुविधाएं अपर्याप्त हैं, तो यह न्यायालयों के लिए मूल्यांकन में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है, सिवाय बहुत ठोस अधिकार क्षेत्र के कारणों जैसे कि निरीक्षण दल की दुर्भावना, निरीक्षण में प्रत्यक्ष विकृति, एम. सी. आई. की ओर से अधिकार क्षेत्र की त्रुटि आदि। चक्रवात के कारण रोगियों की संख्या कम होने से संबंधित निवेदन स्वीकार्य नहीं है। हम अपीलार्थी की ओर से की गई इस दलील से सहमत हैं कि रेजिडेंट डॉक्टरों को हर समय अस्पताल में होना आवश्यक है।"

25. यह स्पष्ट है कि कॉलेज ने 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय में लगातार रिट आवेदन दायर किए थे, लेकिन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में नए सिरे से

निरीक्षण के लिए प्रार्थना नहीं की, यह जानते हुए कि एमसीआई और निगरानी समिति ने निर्णय लिया था और फिर से अपने निर्णय को दोहराया कि विनियमन 8(3)(1)(ए) के अनुसार पाई गई सकल कमियों के कारण, अनुपालन सत्यापन नहीं किया जा सकता था। कॉलेज पर यह दायित्व था कि वह अनुपालन पर विचार करने की राहत के लिए समय पर दबाव डाले, जिस पर उसने जोर नहीं दिया और उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश 1.8.2018 के माध्यम से इसका आदेश देने में बहुत देर हो गई थी, भले ही यह अनुमेय हो।

26. 13.11.2017 को आदेश पारित करके इस न्यायालय का उद्देश्य यह था कि कॉलेज का शैक्षणिक वर्ष के लिए नए सिरे से निरीक्षण किया जाए, लेकिन यह उस समय इस न्यायालय के विचार में भी नहीं था कि नए सिरे से निरीक्षण करने पर कमियों की प्रकृति क्या होगी। अवलोकन पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब ऐसी कमियां पाई गई हों, 30 प्रतिशत से अधिक संकाय और निवासियों और/या बिस्तर अधिभोग 50 प्रतिशत से कम हो, आगे कोई अनुपालन सत्यापन अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय के निर्णय को उसके संबंध में निर्णय के रूप में नहीं लिया जा सकता है जब कमियां सकल पाई जाती हैं जहां विनियमन 8(3)(1) का परंतुक लागू होता है। इस न्यायालय का निर्णय मुख्य प्रावधान पर आधारित है कि सामान्य रूप से उन कमियों को दूर करने का अवसर दिया जाना चाहिए जो विनियमन 8(3)(1)(ए) में उल्लिखित प्रतिशत के भीतर नहीं आती हैं। इस प्रकार, न्यायालय का कभी भी विनियमन 8(3)(1)(ए) के प्रावधान को पारित करने का इरादा नहीं था। यह आदेश नहीं दिया गया था कि विनियमन 8(3)(1)(ए) के प्रावधान के बावजूद, अनुपालन का अवसर दिया जाए। निर्णय उस प्रश्न के लिए एक प्राधिकरण है जिस पर विचार किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। इस न्यायालय ने उपरोक्त पहलू पर निर्णय नहीं लिया था और न ही यह स्पष्ट था क्योंकि 13.11.2017 द्वारा नए सिरे से निरीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का अर्थ

यह नहीं लिया जा सकता है कि यद्यपि कमियां 30 प्रतिशत से अधिक संकाय और निवासियों की पाई जाती हैं और बिस्तर अधिभोग 50 प्रतिशत है और विनियमन 8(3)(1)(ए) में निहित प्रावधानों के बावजूद, अनुपालन का अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के आदेश के उद्देश्य पर विचार करने में कानूनी रूप से गलती की है और वेदांत (उपरोक्त) में निर्णय का अनुपात मामले में स्पष्ट रूप से लागू था।

27. नए मूल्यांकन में पाई गई कमियों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कॉलेज को वास्तव में भारत सरकार या एमसीआई द्वारा कभी भी स्पष्ट मान्यता नहीं दी गई थी, यह केवल इस न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के आग्रह पर ही था कि सशर्त अनुमति दी गई थी और सकल कमियां पाई गई थीं। इस प्रकार, कॉलेज आगे किसी भी प्रकार की छूट का हकदार नहीं था। और भी अधिक, विनियमन 8(3)(1)(ए) को ध्यान में रखते हुए, वह भी मंजूरी आदि की अवधि के बाद समाप्त हो गया था और प्रवेश भी। उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक कैलेंडर की भी अनदेखी की है। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में, नए निरीक्षण को शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए निर्देशित किया जा सकता था, और भारत सरकार और एमसीआई द्वारा नए निर्णय लिए जा सकते थे।

28. परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि भारत सरकार द्वारा पारित 31.5.2018 दिनांकित आदेश को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनाया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और अपील को अनुमति दी जानी चाहिए। निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है। दल अपना खर्च स्वयं वहन करें।

दिव्या पांडे अपील की अनुमति दी गई।

उपेंद्र नारायण सिंह